» न्यूज-ब्रीफ

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य बने डॉ.अभिषेक शर्मा, विधिवत किया पदभार ग्रहण

टोंक (सीमा सन्देश सं)। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग टोंक के सदस्य नियुक्त हुये एड. डॉ. अभिषेक शर्मा ने अपना पदभार ग्रहण किया, उन्हें पूर्व में पद स्थापित अध्यक्ष प्रशांत शर्मा द्वारा पदभार ग्रहण करवाया गया। इस मोके पर जिला अभिभाषक संघ टोंक द्वारा नवनियुक्त सदस्य डॉ. अभिषेक शर्मा का स्वागत किया गया। इस मोके पर जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष सुधीर मिश्रा, शैलेंद्र शर्मा, प्रशांत कुमार अग्रवाल, योगेश व्यास, वसी अहमद, फिरोज अहमद, आसिम पठान एड., लोकेश बारेठ, छोटू लाल पहाडिया, साहिल खानए, जुबैद उर रहमान, ब्रजराज शर्मा, आदिल, शमशेर अली, नसीम अहमद, मनोज, विजय बहादुर सिंह, बेनी प्रसाद गुर्जर नजीर हसन आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे।

शिशु वाटिका में छात्रों ने किया मॉक ड्रिल अभ्यास

पावटा (सीमा सन्देश सं)। कस्बे के रामलीला मैदान स्थित आदर्श विद्या मन्दिर शिशु वाटिका में सुरक्षा जागरूकता बढाने को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।जिसमें छात्रों को हवाई हमले के दौरान राहत एवं बचाव का पूर्वाभ्यास करवाते हुए आमजन को मॉक ड्रिल व ब्लैक आउट के समय प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। शिशु वाटिका प्रभारी मनीष कुमार सैन ने छात्रों को मॉक ड्रिल की जानकारी देते हुए आपातकालीन स्थिति में प्रशासन द्वारा दिए गए नियमों का पालन करने की बात कही। इस दौरान इन्दू शर्मा, ज्योति शर्मा, प्रियंका वर्मा, प्रीति शर्मा, बबीता जांगिड, पूजा मित्तल सहित विद्यालय स्टाफ एवं छात्र उपस्थित रहे।

हंस महाविद्यालय पावटा में मॉक ड्रिल का आयोजन

पावटा (सीमा सन्देश सं)। हंस महाविद्यालय में एनएसएस एवं एनसीसी के संयुक्त तत्वावधान में स्वयंसेवकों और विद्यार्थियों द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एनएसएस के एएनओ अमित सैनी ने विद्यार्थियों को एक दिन पूर्व मॉक ड्रिल का पूर्वाअभ्यास करवाया। मॉक ड्रिल के दौरान संस्थान के निदेशक पंकज बंसल ने स्वयंसेवक एवं विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस मॉक ड्रिल के आयोजन का उद्देश्य विपरीत परिस्थितियों में सुरक्षा तथा धैर्य को बनाए रखना है। मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजाने पर विद्यार्थी एवं स्वयंसेवको ने परिसर में शरण ली। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ विनोद कुमार शर्मा ने कहा कि यह अभ्यास हवाई हमले की स्थिति से निपटने के लिए मानक प्रक्रिया है। मॉक ड्रिल के दौरान एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी महावीर यादव राजेंद्र प्रसाद यादव एवं अन्य स्टाफ सदस्य भी उपस्थित रहे।

टोंक जिले में विभिन्न हादसों में तीन जनों की अकाल मौत

टोंक (सीमा सन्देश सं)। टोंक जिले में अलग-अलग हादसों में तीन जनों की पिछले 24 घण्टे के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मेहन्दवास क्षेत्र के केरली गोपालपुरा निवासी लालाराम पुत्र नेहनूलाल जाट (45) खेत पर काम कर रहा था। इसी दौरान उसे साप ने काट लिया, जिसे सआदत अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इसी प्रकार मेहन्दवास थाना क्षेत्र में ही हाई-वे बाड़ा अब्दुलापुरा के पास दो मोटर साईकिलों की भिड़न्त में सोनू पुत्र राधेश्याम बैरवा (23) निवासी ताखोली की मौत हो गई। इसी प्रकार शिवाड़ रोड़ पर शादी से लौट रहे हंसराज पुत्र गजानन्द बैरवा (35) के बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिसे पुलिस सआदत अस्पताल टोंक लाई, जिसे भी चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तीनों शवो का पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिये।

टोंक में एक घण्टे के दौरान 77 एमएम बरसात ने खोली नगर परिषद की पोल

- नालों की सफाई नही होने से घरो- दुकानो में घुसा बरसाती पानी
- खेतों में पानी भरने से फसले भी हुई चोपट

टोंक (सीमा सन्देश सं)। पश्चिम विक्षोभ के चलते गुरूवार को टोंक सहित जिले के कई हिस्सों में करीब एक-सवा घण्टे की बारीश से टोंक पानी-पानी हो गया, मानसून की तरह बरसे मेघ के कारण जहा शहर की कई निचली बस्तियों में दुकानो एंव घरो में बरसाती पानी घुस गया। वही नगर परिषद के नालो की साफ-सफाई नियमित रूप से करवाते रहने की भी इस बरसात ने पोल खोल कर रख दी। जहा नालो से उफन कर बाहर आये पानी से सडको पर पानी ही पानी हो गया।

शहर में एक घण्टे में हुई 77 एमएम बरसाती पानी के कारण धन्ना तलाई, काली पलटन, रजबन, बमोर रोड सिथत संतोष नगर, पुरानी टोंक, गांधी पार्क के सामने, बहीर, छावनी आदि क्षैत्रो में नालो की सफाई नही होने से नालो का पानी घरो-दुकानो तक में घुस गया। वहीं पानी के निकास के लिए बने नाले के समीप जगह- जगह अतिक्रमण होने से पानी के निकास से बरसाती पानी नहीं निकल पाया। वही ग्रामीण ईलाको में इसी तरह की हुई बरसात ने हाल ही में बोई गई ज्वार, मक्का, मूंगफली आदि की बरसात को भी नुकसान पहुचाया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य एड. अभिषेक शर्मा ने बताया कि मालपुरा दरवाजे से बहीर तक जाने वाले खाल खददर में स्थित नाले को न्यायालय द्वारा पक्का निर्मित किए जाने के आदेश के बावजूद नगर परिषद ने ना पक्का निर्मित किया और ना ही नालो की कोई साफ सफाई की व्यवस्था की है।

जिससे बरसात का पानी नालो से उफनकर आसपास के खेतो में भर गया, जिससे खेत तालाब की तरह बन गये तथा हाल ही में बोई गई फसले नष्ट हो गई।

टोंक में श्रीरामजानकी सर्वजातीय नि:शुल्क विवाह सम्मेलन का सफल आयोजन

- गीता मंदिर से निकाली दुल्हा-दुल्हनो की शोभायात्रा, 15 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में

टोंक (सीमा सन्देश सं)। समाज सेवी संगठन सेवा भारती समिति टोंक के तत्वाधान में गुरूवासर को श्रीराम जानकी सर्वजातीय निःशुल्क विवाह सम्मेलन गुरुवार को ताल कटोरा में संत महामंडलेश्वर डॉ. मनीषदास महाराज, सन्त दूधिया बालाजी के रामजी महाराज, रामद्वारा के संत रामनिवास जी महाराज, संत प्रभुदास महाराज कबीरपंथी, व डॉ. पण्डित पवन सागर के सानिध्य में पंद्रह जोड़ो का पाणिग्रहण संस्कार सम्पन्न हुआ। सेवा भारती समिति के जिलाध्यक्ष बाबूलाल शर्मा, महेन्द्र विजय, नरेन्द्र शर्मा आदि समिति के पदाधिकारियों द्वारा सर्वप्रथम सभी दूल्हों को घोड़ी पर व दुल्हनों को कंटेनर गाड़ी में बैठाया गया।

जहा गीता मंदिर से उनकी भव्य शोभा यात्रा विवाह स्थल तक धूमधाम से निकाली गई। संरक्षक गोविन्दशरण गुप्ता व सह- जिला मंत्री अशोक छनिवाल ने कहा कि सर्व जातीय बारात शोभायात्रा का सभी जातियों व बिरादरी द्वारा मार्ग में पुष्पवर्षा व जलपान कराकर भव्य स्वागत किया गया। मीडिया प्रभारी सुरेन्द्र गुप्ता व बजरंग लाल यादव नगर मंत्री, प्रशांत बुन्देल प्रचार मंत्री ने बताया कि बारात शोभायात्रा में क्षेत्रीय सेवा प्रमुख शिवलहरी, मूलचन्द प्रचारक, द्वारका प्रसाद प्रचारक, गिरधारी प्रान्त मंत्री सेवाभारती, महेश गोयल सह-प्रान्त मंत्री सेवा भारती, अरुण शुक्ला प्रान्त महिला मण्डल प्रमुख, पुरुषोत्तम जिला संघ चालक, लक्ष्मण जिला प्रचारक, राज्य के जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, जिला प्रमुख सरोज बंसल, भाजपा जिलाध्यक्ष चन्द्रवीर सिंह चौहान, पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता, नरेश बंसल, पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन, महेन्द्र विजय, गोविन्द सोनी, रामप्रसाद शर्मा, राधेश्याम शर्मा, बीना छामुनिया, संजय संघी, डा. प्रभु बड़ोलिया शहर के गणमान्य लोग साथ-साथ चल रहे थे। विवाह स्थल पर बारात पहुँचने पर सेवा भारती की महिला प्रमुख शशि कटियार, मीना सागर, ममता शर्मा एवं महिलाओं के नेतृत्व में पुष्पवर्षा कर बारात का स्वागत किया। वही विवाह सम्मेलन में उचित व्यवस्थाओं को देख लोगो ने आयोजको की खूब प्रशंसा की है।

किसानों मिली सुविधा क्षेत्र के विकास में मददगार : कल्पना अग्रवाल

पावटा (सीमा सन्देश सं)। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और एसडीएम कपिल कुमार उपाध्याय ने ग्राम सेवा सहकारी समिति प्रागपुरा का दौरा किया।

इस अवसर पर समिति के चेयरमैन उपेन्द्र सिंह शेखावत ने कलेक्टर मैडम को कृषि ड्रोन की कार्य प्रणाली और अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कलेक्टर मैडम ने ऋण वितरण और उर्वरक स्टॉक की भी समीक्षा की। समिति चेयरमैन ने बताया कि कृषि ड्रोन का उपयोग करके किसानों को कैसे लाभ पहुंचाया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने समिति की कार्यशैली को सराहनीय बताया। इस अवसर पर शाखा प्रबंधक नवरतन, ऋण पर्यवेक्षक राजेश यादव, व्यवस्थापक कैलाश स्वामी, सहायक व्यवस्थापक आनन्द सिंह, सहायक नरेश सैनी, रामकरण सैनी, ड्रोन पाइलेट प्रेम प्रकाश सैनी, कृषि पर्यवेक्षक जितेन्द्र यादव, अजय सैनी, सुरेन्द्र यादव, मुखराम धनखड़, मदन यादव, रामनिवास यादव आदि अनेक लोग उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने ग्राम सेवा सहकारी समिति प्रागपुरा की कार्यशैली को सराहनीय बताया और कहा कि समिति द्वारा किसानों को दी जा रही सुविधाओं से निश्चित रूप से क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने ग्राम सेवा सहकारी समिति प्रागपुरा की कार्यशैली को सराहनीय बताया और कहा कि समिति द्वारा किसानों को दी जा रही सुविधाओं से निश्चित रूप से क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी।

ब्यावर जिले के शिक्षा संकुल हेतु भूमि आवंटन के बाद जारी हुआ रजिस्टर्ड पट्टा

ब्यावर। नवगठित ब्यावर जिले में शैक्षणिक ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शिक्षा संकुल के लिए आवंटित भूमि का रजिस्टर्ड पट्टा आज जिला प्रशासन द्वारा संबंधित अधिकारियों को प्रदान किया गया। जिला कलेक्टर डॉ. महेंद्र खडगावत, उपखंड अधिकारी श्री दिव्यांश सिंह एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री मोहन खटनावलिया की उपस्थिति में यह रजिस्टर्ड पट्टा श्री अजय कुमार गुप्ता, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) एवं श्री राजाराम टाक, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक), ब्यावर को प्रदान किया गया। यह कदम जिले में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला को मजबूत करेगा।

मकान व खेत पर जाने का रास्ता खुलवाकर दी आहत को राहत

ब्यावर। मसूदा तहसील के ग्राम श्यामगढ़ निवासी श्रीमती कोया पत्नी स्वर्गीय शंकर एवं कमलेश पुत्र शंकर ने जिला कलेक्टर डॉ. महेन्द्र खडगावत को एक शिकायत पत्र प्रस्तुत कर निजी आवास एवं खेत पर जाने वाले रास्ते को अवरुद्ध किए जाने की जानकारी दी। शिकायत में बताया गया कि उनकी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3826 व 3827 पर स्थित है, जिसमें खसरा संख्या 3827 में उनका आवासीय मकान निर्मित है। आरोप लगाया गया कि ग्राम श्यामगढ़ के ही निवासी सिकंदर पुत्र रोड़ा व लक्ष्मण पुत्र अली ने उनके मकान व खेत पर जाने का रास्ता जो कि सरकारी भूमि खसरा संख्या 3831 से होकर जाता है, उसे अवरुद्ध कर दिया और धमकी भी दी।

शिव महापुराण कथा में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

पावटा (सीमा सन्देश सं)। कस्बा पावटा में नृसिंह मंदिर में बंसल परिवार द्वारा आयोजित सात दिवसीय शिव महापुराण कथा के चौथे दिन गुरूवार को कथाव्यास आचार्य कृष्ण गोपाल सुवेदी ने धर्म और ज्ञान से जुड़ी हुई बातों से भक्तों को अवगत कराया और कहा कि 'इस धरा पर कल्याण के लिए कथा से उत्तम दूसरा कोई ओर तरीका नहीं है, उन्होंने कहा कि महापुराण से पापी, दुराचारी लोग शुद्ध हो सकते हैं। आचार्य कृष्ण गोपाल सुवेदी ने बताया कि 'भगवान शिव की आराधना मनुष्य को मोक्ष प्रदान करती है. इसलिए समस्त मानव जाति को भगवान शिव की निर्मल मन से उपासना करनी चाहिए.' उन्होंने कहा कि 'पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि आप परम तत्व के बारे में अवगत करवाएं। जिसकी शरण में जानें से मुक्ति मिल जाती हो।

कथाचार्य में बताया कि पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव बोले कि हे देवी विज्ञान ही परम तत्व है और यह विज्ञान मनुष्य के अंतर्मन में ही विराजमान रहता है. मगर आज का इंसान सांसारिक मोह माया में उलझा हुआ है, जिसकी वजह से वो जीवन काल तक इधर से उधर भटकता रहता है।

कथा के दौरान सीए गोपाल बंसल, सुरेश बंसल, विरेन्द्र बंसल, पुरूषोत्तम भारद्धाज, विकास पुजारी, गोविन्द शर्मा सहित बडी संख्या में महिलाएं, ग्राम के गणमान्य लोग एवं कमेटी सदस्य उपस्थित रहे।

ऑपरेशन सिन्दूर पर साहित्यिक संगोष्ठी आयोजित

पावटा (सीमा सन्देश सं)। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा ऑपरेशन सिन्दूर की सफलता के उपलक्ष्य में एक विशेष साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में भारतीय सैन्य पराक्रम को समर्पित रचनात्मक अभिव्यक्तियाँ प्रस्तुत की गईं। गोष्ठी में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री मनोज कुमार, क्षेत्रीय संगठन मंत्री विपिन बिहारी पाठक और प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. ओम प्रकाश भार्गव ने ऑपरेशन सिन्दूर पर आधारित ओजपूर्ण और शौर्यगाथा रचनाएँ प्रस्तुत की। इन रचनाओं में भारतीय सैनिकों के अद्वितीय पराक्रम, साहस और राष्ट्रभक्ति का सजीव चित्रण किया गया। गोष्ठी के दौरान अपने संयुक्त उदबोधन में मनोज कुमार, विपिन बिहारी पाठक और डॉ. ओम प्रकाश भार्गव ने कहा कि ऑपरेशन सिन्दूर ने वैश्विक मंच पर भारत की सैन्य क्षमताओं और रणनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया है।

उन्होंने भारतीय सेना की साहसिक और निर्णायक कार्रवाई की प्रशंसा की और राष्ट्र को ऑपरेशन सिन्दूर की सफलता पर बधाई दी। इस अवसर पर खण्ड कार्यवाह रघुनंदन मिश्रा, इतिहास संकलन समिति के पदाधिकारी धर्मपाल यादव, सामाजिक कार्यकर्ता नित्येंद्र मानव और अंकित गौड़ सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। उपस्थित सभी सदस्यों और पदाधिकारियों ने भारतीय सशस्त्र बलों और नेतृत्व के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की।

बसों एवं भारी वाहनों का मार्ग परिवर्तन करने की मांग

देवली (सीमा सन्देश सं)। पार्षद लोकेश लक्षकार ने उपखण्ड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर बसों एवं भारी वाहनों का मार्ग परिवर्तन करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि पुलिस थाने के पास गुरुद्वारा रोड से भीलवाड़ा और अजमेर मार्ग की बसे तथा भारी वाहनों का आवागमन हो रहा हे लेकिन अब शहर मे बस स्टैंड से गुरुद्वारा रोड से आने जाने वाले मार्ग में यातायात का अतिरिक्त भार बढ़ने, ई रिक्शा चलने एवं गुरुद्वारा रोड पर कई प्रतिष्ठान ओर बैंक आदि खुलने से दोपहिया , चौपहिया वाहनों के खड़े रहने से रास्ता पहले से सिकुड़ चुका हे साथ ही पुलिस थाने से बस स्टैंड के बीच सड़क किनारे खड़े सब्जी और फल विक्रेताओं के ठेलो के कारण भारी वाहनों के आवागमन के दौरान दिनभर इस बस स्टैंड से गुरुद्वारा रोड पर अलग अलग स्थानों पर जाम लगना आम बात हो गई । वाहनों के जाम के कारण आमजन दिन भर परेशान होता रहता हे जो शहर में एक बड़ी समस्या का रूप ले रही हे। उक्त समस्या के समाधान हेतु बसे और भारी वाहनों का आवागमन इस रोड से बंद कर बस स्टैंड से एस बी आई चौराहे से परशुराम सर्किल होते हुए गौरपथ से किया जाए ताकि शहर के बीचों बीच रोजाना लगने वाले जाम से मुक्ति मिल सके।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ एकीकृत और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अधीन सूचना

निम्न ऋणधारकों एवं सह-ऋणधारकों ने नीचे वर्णित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ एकीकृत और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से ज्ञात) से सुरक्षित ऋण लिया था। निम्नलिखित ऋणधारकों एवं सह-ऋणधारकों के ऋण उनकी संबंधित सम्पत्तियों को बंधक द्वारा सुरक्षित रखा गया है। क्योंकि उन्होंने संबंधित ऋण समझौते के नियम व शर्तों की पालना नहीं की है और अनियिमित हो गये है, उनके ऋणों को आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ एकीकृत और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से ज्ञात) को देय राशियाँ उनको जारी संबंधित नोटिसों में लिखी गयी है तथा विशेष रूप से निम्न सारणी में वर्णित है और उक्त राशियों पर संबंधित तिथियों से अनुबंध की प्रभावी दर से आगामी ब्याज भी लागू होगा तथा वह वसूला जायेगा।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13(2) के नोटिस की तिथि	धारा 13(2) के नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1.	57690523 और 139595180	गृह ऋण	23.04.2025	4,69,488.12/-

ऋणधारकों और सह-ऋणधारकों के नाम: 1. घनश्याम कंवरलाल 2. रमेश बाई
संपत्ति पता: गांवः मियादा, ग्राम पंचायतः मियादा, पंचायत समितिः बारां, जिलाः बारां, राजस्थान-325205 के खसरा संख्या 1119 स्थित पट्टा संख्या 17 सहित प्लाट के समस्त खण्ड व हिस्से, प्लाट क्षेत्र 1360 स्क्वैयर फीट और सीमाएंः पूर्वः मादक चंद का घर, पश्चिमः आम रास्ता, उत्तरः आम रास्ता, दक्षिणः रमेश भाई का हिस्सा

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13(2) के नोटिस की तिथि	धारा 13(2) के नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2.	22867930	सम्पत्ति के विरुद्ध ऋण	18.01.2025	3,13,705.97/-

ऋणधारकों और सह-ऋणधारकों के नाम: 1. पप्पू लाल 2. संजय पप्पू लाल
संपत्ति पताः गांवः बादली, ग्राम पंचायतः बादली, पंचायत समितिः भिनाय, तहसीलः भिनाय, जिलाः अजमेर, राजस्थान-305624 स्थित खसरा संख्या 1543 स्थित पट्टा संख्या 35 सहित प्लाट के समस्त खण्ड व हिस्से, प्लाट क्षेत्र 561 स्क्वैयर फीट **और सीमा इस प्रकार है: पूर्वः आम रास्ता, पश्चिमः श्री लाडू/भोला रेगर, उत्तरः श्री लाडू/भोला रेगर, दक्षिणः आम रास्ता**

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13(2) के नोटिस की तिथि	धारा 13(2) के नोटिस के अनुसार बकाया राशि
3.	75373067	गृह ऋण	16.04.2025	4,80,366.81/-

ऋणधारकों और सह-ऋणधारकों के नाम: 1. राकेश बैरवा 2. कौशल्या बाई
संपत्ति का पता: ग्रामः तिसाया, ग्राम पंचायतः तिसाया, पंचायत समितिः बारां, तहसील और जिलाः बारां, राजस्थान-325222 स्थित पट्टा संख्या 228 सहित प्लॉट के समस्त खण्ड व हिस्से, क्षेत्र (12×36)+(20×20)=832 स्क्वैयर फीट **और सीमा इस प्रकार: पूर्वः सड़क, पश्चिमः गोपाल गुर्जर का घर, उत्तरः माताजी का मंदिर, दक्षिणः माताजी का मंदिर**

आपको एतद्वारा, इस प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर, ऊपर सारणी में दर्शाई राशियों को संबंधित तिथियों से, उस पर लगे आगे के अनुबंध में ब्याज दर तथा अन्य लागतों, प्रभारों आदि सहित **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ एकीकृत और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से ज्ञात)**को भुगतान करने को कहा जा रहा है, यदि ऐसा नहीं हुआ, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के तहत, **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ एकीकृत और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से ज्ञात)** को देय राशि वसूल करने के लिये, बंधक रखी सम्पत्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा/इसके अलावा उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत आप उक्त सम्पत्तियों को बिक्री/लीज अथवा किसी अन्य प्रकार से ट्रांसफर नहीं करने के लिये प्रतिबंधित है।

ह./- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 09.05.2025
स्थान- राजस्थान
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ एकीकृत और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से ज्ञात)

आज होगा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन

झुंझुनूं (सीमा सन्देश सं)। गर्भावस्था व प्रसव के दौरान होने जोखिम को कम करने और जननी और उनके होने शिशु को सुरक्षित रखने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार को जिलेभर के करीब 150 से अधिक संस्थानों पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के सत्रों का आयोजन किया जाएगा। सीएमएचओ डॉ. छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि सरकारी चिकित्सा संस्थानों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की ओर से गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच और उन्हें आवश्यक उपचार की सेवाएं प्रदान की जाएगी। सीएमएचओ डॉ. गुर्जर ने बताया कि इन शिविरों में विशेषज्ञ चिकित्सक लाभार्थी महिलाओं की जांच एवं उपचार करेंगे। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं की गुणवत्ता युक्त प्रसव पूर्व जांच सुविधाएं देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन हर माह की 9, 18, 27 तारीख को किया जाता है। अभियान में सभी आवश्यक खून की जांच, सोनोग्राफी और दवाएं सहित अन्य चिकित्सकीय सुविधाएं निशुल्क प्रदान की जा रही हैं। आरसीएचओ डॉ. दयानंदसिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की एचबी, एचआईवी, सिफलिस, बीपी, तापमान की जांच, हृदय स्पंदन की जांच सहित जटिलता की जांच की जा रही है। साथ ही उन्हें आईएफए, कैल्शियम और अन्य आवश्यक दवाइयां प्रदान की जाएगी। डॉ. दयानंदसिंह ने बताया कि निशुल्क सेवाएं देने के इच्छुक निजी चिकित्सालयों के स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ इस सामाजिक सरोकार के अभियान से जुड़कर एक दिन निशुल्क सेवाएं प्रदान करने के लिए सीएमएचओ डॉ. छोटेलाल गुर्जर ने आह्वान किया है। जिससे कई निजी स्त्री रोग विशेषज्ञ इस अभियान से जुड़ चुकी है।

डॉ. गुलशन नूआं में प्रदान करेंगी फ्री परामर्श

सीएमएचओ डॉ. छोटेलाल गुर्जर की प्रेरणा से निजी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. गुलशन बानो शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नुआ में अपनी नि:शुल्क परामर्श सेवाएं प्रदान करेंगी। डॉ. गुलशन बानो ने बताया कि मुझे खुशी है कि मैं गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व की गारंटी देने वाले इस अभियान से जुड़ी हूं।

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व में पूनावाल्ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
पंजीकृत कार्यालय: 6वीं मंजिल, बी बिल्डिंग, गंगा टूनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र 411014 शाखा इकाई: दूसरी मंजिल, पूर्वी भाग, लैंडमार्क टॉवर, प्लॉट संख्या 16 ए, महावीर मार्ग, सी-स्कीम, जय क्लब के पास, जयपुर - 302001
ई-नीलामी- बिक्री सूचना
सरफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षित अचल संपत्ति की बिक्री

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002(अधिनियम) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 व 9 के प्रावधानों के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा जनसामान्य को और विशेष रूप से ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों/बंधककर्ता(ओं)/जमानतदार(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को **गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पूर्व में पूनावाल्ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था,** 17 नवंबर 2023 से पूनावाल्ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नाम बदलकर गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हो गया है (पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में ज्ञात और मूल रूप से जोई मनी हाउसिंग फाइनेंस पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी के नाम से सम्मिलित किया गया था) और (इसके बाद 'सुरक्षित लेनदार' के रूप में संदर्भित किया है) के पास बंधक रखा है, जिसका कब्जा सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नोटिस के अनुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) के नियम 8 और 9 के सहपठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राप्त कर लिया है।
सुरक्षित आस्तियों को ई-नीलामी के माध्यम से 25/06/2024 को 'जो है जहां है', 'जो है क्या है' और 'वहां जो भी है'के आधार पर बेची जाएंगी। एतद्द्वारा आमजन को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइट: https://www.bankeauctions.com. पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी करने जा रहे हैं। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया जीएचएफएल/सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी www.grihumhousing.com पर दिए गए लिंक को देखें।

क्र सं.	प्रस्ताव संख्या ग्राहक का नाम (ए)	मांग सूचना दिनांक और बकाया राशि (बी)	कब्जे का प्रकार(सी)	संपत्ति का विवरण (डी)	आरक्षित राशि (ई)	ईएमडी (आरपी का 10 प्रतिशत) (एफ)	ईएमडी जमा करने की तिथि(जी)	बोली वृद्धि (एच)	सम्पत्ति निरीक्षण तिथि व समय (आई)	नीलामी की तिथि और समय (जे)	ज्ञात भार/ कोर्ट केस, यदि कोई हो, (के)
1	ऋण संख्या HL00062100000005040267 मिश्रीलाल भवारी	नोटिस दिनांक: 08/10/2024 कुल बकाया: रु. 981444/- (नौ लाख अस्सी हजार चार सौ चौवालीस मात्र) 08/10/2024 को देय, साथ ही वसूली तक 13.00% प्रति वर्ष ब्याज भी	भौतिक	प्लॉट नंबर 21, खसरा नंबर 789, ग्राम झालामंड, जिला जोधपुर (इसके बाद उक्त संपत्ति के रूप में संदर्भित) के सभी टुकड़े और पार्सल और प्लॉट की सीमाएं उत्तरः- रास्ता दक्षिणः- प्लॉट नंबर 22 पूर्वः- रास्ता पश्चिमः- प्लॉट नंबर 20 क्षेत्रफल 163.33 वर्ग गज।	Rs.725000/- (रुपये सात लाख पच्चीस हजार मात्र)	Rs. 72,500/- (रुपये बहत्तर हजार पांच सौ मात्र मात्र)	26/05/2025 शाम 5 बजे से पहले	10,000/-	20/05/2025 (11AM – 4PM)	27/05/2025 (11 AM- 2PM)	NIL
2	ऋण संख्या HL00199000000005016545 नरेंद्र बैरवा (उधारकर्ता) मुकेश कुमार (सह-उधारकर्ता) कविता कुमारी (सह-उधारकर्ता) गायत्री मुकेश कुमार (सह-उधारकर्ता)	नोटिस दिनांक: 06/02/2025 कुल बकाया: रु. 161869/- (एक लाख इकसठ हजार आठ सौ उनसठ मात्र) 06/02/2025 को देय, साथ ही वसूली तक 13.85% प्रति वर्ष ब्